पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 3855 /अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 21/07/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '89वाँ' बैठक शुक्रवार दिनांक 19.07.2024 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. राजीव चौधरी – सदस्य
2. डॉ. संजय जे. डहरवाल – सदस्य
3. डॉ. रोहिणी प्रसाद – सदस्य
4. डॉ. कल्लोल कुमार घोष – सदस्य
5. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स – सदस्य
6. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा (Online उपस्थित) – सदस्य
7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online उपस्थित) – सदस्य
8. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का – सदस्य
9. डॉ. गिरीश चंदेल (Online उपस्थित) – सदस्य
10. डॉ. बिजयानंद सिंह – सदस्य
11. डॉ. मेघेश तिवारी – सदस्य
12. डॉ. पी.सी. चौबे – सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

4. श्री नरेन्द्र पाल पटेल, द्वितीय श्रेणी लिपिक, छात्र कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 16,16,288.00 (रुपए सोलह लाख सोलह हजार दो सौ अठ्यासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

5. श्री उपेन्द्र यादव, चपरासी, इलेक्ट्रानिक अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 6,75,659.00 (रुपए छः लाख पचहत्तर हजार छः सौ उनसठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

6. विश्वविद्यालय के बजट प्राक्कलन 2024–25 में पुनर्विनियोजन के संबंध में निम्नलिखित प्रकरण पर विचार करना –

(1) बजट प्राक्कलन के शीर्ष F-Examination and Evalution Administration के बिन्दु क्रमांक 3 (Result Processing Charges) में प्रावधानित राशि रू. 1100.00 लाख में से 215.00 लाख बिन्दु क्रमांक 2C (Question Paper Printing) मद में पुनर्विनियोजन के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

(2) बजट प्राक्कलन के शीर्ष B -Engineering Unit के बिन्दु क्रमांक 18 (Concealed Wiring) मद में प्रावधानित राशि रू. 500.00 लाख में से राशि रू. 22.00 लाख बिन्दु क्रमांक 16 (Maintenance of Air Conditioner/water coolers) मद में पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।

(3) बजट प्राक्कलन के शीर्ष B-Engineering Unit के बिन्दु क्रमांक 4(ii)(b) (Scooter Garage/Motor Garage (CarParking)/Vehicle shede & workshop) मद में प्रावधानित राशि रू. 40.00 लाख में से राशि रू. 2.82 लाख बजट प्राक्कलन के शीर्ष E-Directorate of physical Education के बिन्दु क्रमांक 3(i)(c) (Subsidy to Colleges) मद में पुनर्विनियोजित के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय के बजट प्राक्कलन 2024–25 में पुनर्विनियोजन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया –**

(1) बजट प्राक्कलन के शीर्ष F-Examination and Evalution Administration के बिन्दु क्रमांक 3 (Result Processing Charges) में प्रावधानित राशि रू. 1100.00 लाख में से 215.00 लाख बिन्दु क्रमांक 2C (Question Paper Printing) मद में पुनर्विनियोजन के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) बजट प्राक्कलन के शीर्ष B -Engineering Unit के बिन्दु क्रमांक 18 (Concealed Wiring) मद में प्रावधानित राशि रू. 500.00 लाख में से राशि रू. 22.00 लाख बिन्दु क्रमांक 16 (Maintenance of Air Conditioner/water coolers) मद में पुनर्विनियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) बजट प्राक्कलन के शीर्ष B-Engineering Unit के बिन्दु क्रमांक 4(ii)(b) (Scooter Garage/Motor Garage (CarParking)/Vehicle shede & workshop) मद में प्रावधानित राशि रू. 40.00 लाख में से राशि रू. 2.82 लाख बजट प्राक्कलन के शीर्ष E-Directorate of physical Education के बिन्दु क्रमांक 3(i)(c) (Subsidy to Colleges) मद में पुनर्विनियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>मूल विज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. मूल विज्ञान केन्द्र के षष्ठम् सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं को जनवरी–2024 से अप्रैल–2024 की छात्रवृत्ति राशि–6,45,876 / –(छः लाख पैतालीस हजार आठ सौ छिहत्तर) रूपये की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

8. श्रीमती बुधियारीन बाई, चपरासी के अवकाश प्रकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः श्रीमती बुधियारीन बाई, चपरासी के अवकाश प्रकरण पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया –

1.दिनांक 06.04.2023 से 09.04.2023 तक 04 दिनों का अवैतनिक अवकाश
2.दिनांक 10.04.2023 से 22.04.2023 तक 13 दिनों का लधुकृत अवकाश
3.दिनांक 23.04.2023 से 03.03.2024 तक 315 दिनों का अर्जित अवकाश
4.दिनांक 04.03.2024 से 18.03.2024 तक 15 दिनों का अवैतनिक अवकाश (अवकाश की पात्रता नहीं होने के कारण 15 दिनों का अवैतनिक अवकाश)

पूरक विषय सूची

1. विश्वविद्‌यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 10.07.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक 4(6) **Pharmaceutical Management** के स्थान पर **M.B.A. (Pharmaceutical Management)** व बिन्दु क्रमांक 4(9) **Bachelor in Drawing/Painting/Fine Arts** के स्थान पर **Bachelor and Masters in Drawing/Painting/Fine Arts** संशोधन के साथ शेष कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्‌यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.07.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 16.07.2024 के कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक 05 में अनुशंसित निम्नांकित नवीन विनियमों की आवश्यकता एवं अग्रगामी प्रभावों के संदर्भ में कार्यपरिषद् में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। विनियम निम्नानुसार है –

(1) **Regulation No. 212- Research Promotion Policy for Faculties and Research Scholars of UTDs of PRSU**

(2) **Regulation No. 213- Professor of Practice in Pt. Ravishankar Shukla University [Based on National Education Policy 2020]**

(3) **Regulation No. 214- Policy Guidelines for Visiting Professor at Pt. Ravishankar Shukla University**

कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उक्त विनियमों का स्वागत करते हुए विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 16.07.2024 के कार्यवृत्त के समस्त बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. 3281/2022 निर्णय दिनांक 16.06.2022 अवमानना प्रकरण क्र. 943/2022 श्रीमती विद्या शर्मा विरूद्ध कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं अन्य पर पारित निर्णय।

निर्णयः श्रीमती विद्या शर्मा, से.नि. प्र.श्रे.लि. को शेष 10 प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी राशि का ब्याज की गणना उपरांत भुगतान किए जाने के प्रकरण पर चर्चा उपरांत भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

4. श्री कन्हैया लाल रावटे, वरिष्ठ अधीक्षक (अनि.से.नि.) द्वारा परिनियम 31 नियम 58(1) के तहत दिनांक 03. 07.2024 द्वारा अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्र. 2904/सा.प्रशा./2016 दिनांक 30.07.2016 को निरस्त किए जाने के आवेदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश के परिपालन में श्री कन्हैया लाल रावटे, वरि. अधीक्षक (अनि. सेवानिवृत्त) के अपील प्रकरण पर विभागीय जाँच (**D.E.**) हेतु समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे–

(1) श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, वित्त नियंत्रक

(2) डॉ. कल्लोल कुमार घोष, कार्यपरिषद् सदस्य

(3) श्री अनिमेष देवांगन, उप कुलसचिव, प्रशासन

5. उच्च शिक्षा विभाग के 'अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी) –2024' को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः उच्च शिक्षा विभाग के 'अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी) –2024' के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गए –

(1) उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20.06.2024 अतिथि व्याख्याता नीति 2024 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के संबंध में सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में संशोधन को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विज्ञापन क्रमांक 2127/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर दिनांक 05.07.2024 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(4) जारी विज्ञापन में उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन से प्राप्त संशोधन निर्देश–पत्र दिनांक 12.07.2024 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित/जारी किए गए शुद्धि–पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(5) उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024, दिनांक 12/07/2024 द्वारा जारी संशोधन में उल्लेखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत् अर्ह अतिथि व्यख्याताओं को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत Performance Certificate के आधार पर सत्र 2024–25 में पठन–पाठन हेतु अवसर प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(6) उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के पत्र क्रमांक 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20.06.2024 एवं उसके संबंध में जारी किए गए संशोधन पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया एवं चयन संबंधी अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से कुलसचिव ने कार्यपरिषद् को अवगत कराया। तत्संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

6. प्रकरण क्रमांक W.P.(S) 5143/2012 डॉ. पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के संबंध में विचार करना।

निर्णयः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्यपरिषद् के सचिव (कुलसचिव) ने उक्त प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों से माननीय कार्यपरिषद् के सदस्यों को अवगत कराया।

1. डॉ. पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 दायर करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक 3146/Estb./Gen.Adm./2011 दिनांक 12.08.2011 के माध्यम से जारी विज्ञापन के सापेक्ष सह–प्राध्यापक भूगोल के पद हेतु साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई थी। तत्संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11.02.20213 को आदेश प्रदान किया गया कि दिनांक 12.08.2011 को विज्ञापित संबंधित पद पर की जाने वाली नियुक्ति रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 के निर्णय के अध्याधीन होगी। इस मध्य विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1790/Estb./Gen.Adm./2015 दिनांक 30.05.2015 द्वारा पुनः संबंधित पद को विज्ञापित किया गया तथा डॉ. चंद्राकर को इस पद के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थी मानते हुए पत्र संख्या 103/Estb./Gen.Adm./2017 दिनांक 09.01.2017 जारी कर दिनांक 19.01.2017 को चयन हेतु आयोजित साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने को कहा गया।
2. दिनांक 19.01.2017 को आयोजित उक्त साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति की अनुशंसा तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.02.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 01 (अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण) में लिये गए निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय के आदेश 718/Estb./Gen.Adm./2017 दिनांक 17.02.2017 के द्वारा श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर की

सह प्राध्यापक भूगोल के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के तहत विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रदान की गई, किंतु इनके द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया और विचाराधीन रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 में दिनांक 23.08.2018 को अपने उपरोक्त नियुक्ति पत्र सहित अन्य संबंधित अभिलेखों को अतिरिक्त अभिलेखों की तरह माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए संलग्न कराया गया।

3. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा **W.P.(S) 5143/2012** में दिनांक 20.02.2024 को आदेश पारित किया गया है कि "The respondent authorities are directed to treat the appointment of the petitioner on the post of Assosicate Professor (Geography) in the University from the date when other candidates were appointed for the said post persuant to the previous advertisment dated 12.08.2011 and grant him all the consequential benefits accordingly, expect the monetary benefits".
4. विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी अन्य अभ्यर्थी की सह–प्राध्यापक भूगोल के पद पर विज्ञापन दिनांक 12.08.2011 के तहत नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है । रिट याचिका **W.P.(S) 5143/2012** में वर्ष 2012 से नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु कोई प्रार्थना ही नहीं की गई थी। श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर की उक्त पद पर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 17.02. 2017 के द्वारा नियुक्ति की गई थी किन्तु उनके द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। तदोपरांत दिनांक 12.08.2011 के उपरांत भी उक्त पद रिक्त रहा तथा संबंधित पद विश्वविद्यालय द्वारा पुनः दिनांक 06/09/2023 को विज्ञापित किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
5. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.2024 के संबंध में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष **Rev. No. 87 of 2024** दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा उनके आदेश दिनांक 20. 02.2024 के पुर्नविलोकन का आधार नहीं पाने पर In chamber आदेश दिनांक 06.05.2024 के द्वारा दायर पुनर्वविलोकन याचिका को खारिज किया गया है।
6. श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर प्रकरण में एकल पीठ के उक्त दोनों आदेश के अवलोकन के पश्चात् उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे का अभिमत है कि – चूंकि वर्तमान में सह–प्राध्यापक का पद विश्वविद्यालय में रिक्त है तथा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 17. 02.2017 द्वारा इनकी सह–प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर को किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ देने के निर्देश नहीं दिए गए है। अतः विश्वविद्यालय माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश दिनांक 20.02.2024 का अक्षरशः पालन करते हुए नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रकरण को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर, उचित निर्णय ले सकता है अथवा माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ के आदेश के विरूद्ध रिट अपील युगल पीठ के समक्ष की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान ग्रहण करते हुए परिषद के सदस्यों ने प्रकरण के संबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए व्यापक चर्चा की। तत्संबंध में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि – रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रदान किए गए आदेश के क्रम में डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर को विश्वविद्यालय पत्रांक संख्या 103/Estb./Gen.Adm./2017 दिनांक 09.01.2017 द्वारा निर्गत भूगोल अध्ययनशाला में सह–प्राध्यापक पद पर नियुक्ति आदेश को यथावत रखते हुए इन्हें तद्सम्बन्धी पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 15 दिनों के मध्य उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने का पुनः एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। इन्हें रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सापेक्ष वित्तीय लाभ को छोड़कर अन्य यथोचित लाभ देय होंगे। तत्संबंध में यदि डॉ. चंद्राकर संबंधित सह–प्राध्यापक पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 3916/Estb./Gen.Adm./2023 दिनांक 06. 09.2023 में विज्ञापित पद को पूरित (filled) समझा जाए। रिट याचिका W.P.(S) 5143/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के सापेक्ष डॉ. चन्द्राकर को पदभार ग्रहण करने के लिए प्रदान किए जा रहे अतिरिक्त अवसर के क्रम में यदि इनके द्वारा पदभार

ग्रहण नहीं किया जाता है, तो भविष्य में इन्हें पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जाए एवं तत्संबंध में विश्वविद्यालय आवश्यक विधिक/न्यायालयीन कार्यवाही संपादित करें।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,95,873.00 (रुपए नौ लाख पंचानबे हजार आठ सौ तीरहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

8. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक का अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 9,98,679.00 (रुपए नौ लाख अंठानबे हजार छः सौ उन्यासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

9. श्री रामेश्वर राठौर, सहायक कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2024 को विश्वविद्यालय के क्रय प्रक्रिया में अंगीकृत के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ 20–70/2004/11/(6) नवा रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के द्वारा छ. ग. भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2022 में संशोधन किया गया है। अतः छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2024 को अंगीकृत कर विश्वविद्यालय के क्रय प्रक्रिया में लागू करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

11. महिला छात्रावास एवं पावरग्रिड छात्रावास के लिये छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ अलमारी क्रय एवं राशि रु. 5,78,595=00 (रुपए पांच लाख अठहत्तर हजार पांच सौ पंच्यानबे मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

12. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2023–24 का देयक राशि रु. 4,16,24,699.42 (चार करोड़ सोलह लाख चौबीस हजार छः सौ निन्यानबे रुपए बयालिस पैसे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **संबंधित फर्म भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, रॉची (NCCF) को परीक्षा पूर्व कार्य की राशि रू. 4,16,24,699.42 (चार करोड़ सोलह लाख चौबीस हजार छः सौ निन्यानबे रूपये ब्यालिस पैसे मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

फार्मेसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. PCI New Delhi के आदेश कमांक PCI/2539 dated 18 June 2024 के द्वारा फार्मेसी संस्थान में पूर्व संचालित कोर्स के साथ–साथ चार नये M.Pharmacy विषय में सत्र 2024–25 के नवीन विषय प्रारंभ किये जाने हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के सेट–अप के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **PCI New Delhi के आदेश कमांक PCI/2539 dated 18 June 2024 के द्वारा विभाग को पूर्व संचालित कोर्स के साथ–साथ चार नये M.Pharmacy विषय में सत्र 2024–25 के लिए मान्यता प्राप्त हुयीं। इस प्रकार विभाग में PCI New Delhi द्वारा निम्नलिखित विषय/कोर्स की मान्यता प्राप्त हुयी हैं।**

Courses		Total Seat
1. **B.Pharmacy**	-	**60 (Existing Course)**

2. **M.Pharm (Pharmaceutics) - 12 (Existing Course)**
3. **M.Pharm (Pharmaceutical Analysis) - 15 (New Course)**
4. **M.Pharm (Pharmacolgy) - 15 (New Course)**
5. **M.Pharm (Pharmaceutical Biotechnology)- 15 (New Course)**
6. **M.Pharm (Pharmacognosy) - 15 (New Course)**

फार्मेसी काउँसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार पूर्व संचालित एवं नये कोर्स को सम्मिलित रूप से चलाने के लिए **Existing Teaching Setup – 13** पद (नियमित पद) के साथ–साथ 14 नये शिक्षकों की आवश्यकता हैं। इस प्रकार विभाग में कुल 27 शिक्षकों की आवश्यकता है। उक्त क्रम में स्ववित्तीय मद से 14 नवीन शैक्षणिक पद (स्ववित्त पोषित) की शासन से अनुमति प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. सत्र 2024–25 से अध्ययनशाला में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम एवं नवीन पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विभिन्न अध्ययनशालाओं से प्राप्त शुल्क की राशि का निर्धारण निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई –

S.N.	NAME OF COURSE	EXISTING/NEW COURSE	NO. OF SEAT	Existing Fees	Fees Status (Proposed)
1	M.Sc. (RET)	New Course	10	--	880/- Per Semester, Computer fee-600/- + Other necessory fees
2	M.SC. (Forensic Science)	New Course	20	--	880/- Per Semester, Computer fee-600/- + Other necessory fees
3	M.A.(Sindhi)	New Course	20	--	12000/- per year + Other necessory fees
4	Master Of Hotel Management	New Course	30	--	37000/- per year + Other necessory fees
5	M.Com	New Course	40	--	8015/- per Semester + Other necessory fees
6	M.Pharma (Pharmaceutical Analysis)	New Course	15	--	55000/- Per Semester + Other necessory fees
	M.Pharma (Pharmaceutical Biotechnology)	New Course	15	--	55000/- Per Semester + Other necessory fees
	M.Pharma (Pharmacognosy)	New Course	15	--	55000/- Per Semester + Other necessory fees
	M.Pharma (Pharmacology)	New Course	15	--	55000/- Per Semester + Other necessory fees
7	B.Pharma	Existing Course	60	25000/- per year	20000/- per Semester (40000/- per year) + Other necessory fees

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. बजट 2024–25 में पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः बजट 2024–25 में पुनर्विनियोजन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गए –

(1) बजट शीर्ष **I-General Miscellaneous** के अंतर्गत मद कंडिका क्रमांक 3. **Miscellaneous** में प्रावधानित राशि रु. 25.00 लाख में से राशि रु. 5.00 लाख बजट शीर्ष **A-General**

Administration के अंतर्गत मद कंडिका क्रमांक 14. **Scholarship awarded by University** मद में पुनर्विनियोजित करते हुए इस मद का उपयोग **PRSU Research Scholarship** तथा **Seed money for Research Promotion** हेतु किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) उक्त अनुक्रम में बजट शीर्ष **A-General Administration** के अंतर्गत मद कंडिका क्रमांक 14. **Scholarship awarded by University** के अंतर्गत **Seed money for Research Promotion for Teachers and Research Scholars of UTDs of PRSU** के प्रयोजन से आगामी वित्तीय बजट सत्र हेतु उपमद/नवीन मद निर्मित/प्रावधानित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व कनि. अधीक्षक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्र. 749/सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 को निरस्त किए जाने के संबंध में।

निर्णयः **श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व कनि. अधीक्षक के द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्र. 749/सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 को निरस्त किए जाने के अपील आवेदन दिनांक 15.01.2024 के संबंध में विस्तृत जांच कर प्रत्यावेदन प्राप्त करने हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे –**

(1) **श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, वित्त नियंत्रक**
(2) **डॉ. एस.जे. डहरवाल, कार्यपरिषद् सदस्य**
(3) **श्री अनिमेष देवांगन, उप कुलसचिव, प्रशासन**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. Rate Contract for Aluminum Partition Wall & False Ceiling Work PVC Wall Paneling & Flush Door Installation Work हेतु निविदा के संबंध में।

निर्णयः **कुलसचिव ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय Utility Centre के प्रथम तल के कक्ष कमांक 3 में Furnishing संबंधी कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य विभागों/अध्ययनशालाओं में Aluminum Partition Wall & False Ceiling Work PVC Wall Paneling & Flush Door Installation Work हेतु Rate Contract के लिये निविदा जारी किया जाना है। उपरोक्त कार्य कराये जाने पर अनुमानित व्यय रू. 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) होने की संभावना है।**
उक्त के संबंध में निविदा जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

2. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DSC-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत उपकरण 16 चैनल बैटरी टेस्टिंग equipment with communication device and compatible computer के भुगतान हेतु।

निर्णयः **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DSC, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) दिनांक 13.01.2023 के अंतर्गत शोध उपकरण 16 चैनल बैटरी टेस्टिंग equipment with communication device and compatible computer के भुगतान M/S Shree Enterprises, Nagpur को उनके दिए गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) 7,65,872=00 (रु. सात लाख पैसठ हजार आठ सौ बहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

3. कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्य प्रो. रोहिणी प्रसाद द्वारा विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 16.07.2024 के बिन्दु क्रमांक 5 के निर्णय के क्रम में पटल पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत Regulation No. 213-Professor of Practice in Pt. Ravishankar Shukla University [Based on National Education Policy 2020] को संदर्भित करते हुए समाजशास्त्र अध्ययनशाला के अंतर्गत पद्मश्री श्री जागेश्वर राम यादव को Professor of Practice के रूप में अवसर दिये जाने हेतु विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **कार्यपरिषद् ने प्रो. रोहिणी प्रसाद के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए तत्संबंधी विनियम के संदर्भ में प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रस्ताव संबंधी अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 3856 /अका./का.प/2024 **रायपुर, दिनांक 22 /07 /2024**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)